न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या: 88/16
जीसीएमएस नं. 2016/00123 दायर दिनांक: 18.10.2016

उनवान

1 सुकपाल सिंह पुत्र हरविलास सिंह 2 सोहनसिंह पुत्र मिश्री सिंह 3 जतीसिंह पुत्र सुगरसिंह 4 सुआलाल पुत्र सुगरसिंह 5 रमेश सिंह पुत्र निहाल सिंह 6 सुरेन्द्र सिंह पुत्र तिमन सिंह जातियान जाट नि. पथैना तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——वादीगण

बनाम

1 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——प्रतिवादी

दावा विभाजन व हुक्म इस्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता:—

1 श्री रामेश्वर दयाल शर्मा ——वादीगण

निर्णय दिनांक 17.02.2025

वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता यह दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 69 रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम पथैना तह. भुसावर में स्थित है, जो वादीगण की पैत्रिक है व वादीगण के पितामह गजेन्द्र सिंह के नाम थी।

उक्त वर्णित आराजीयात पूर्व ही वादीगण पितामह स्व. श्री गजेन्द्र सिंह की खातेदारी थी, जो विरासत में वादीगण को प्राप्त हुई है तथा उक्त आराजी को शुरू से वादीगण ही काश्त करते चले आ रहे है। इस समय उपरोक्त आराजी में लाहा सरसों व गेहूँ की फसल बोयी है।

वादीगण के द्वारा पेश जमाबन्दी संवत 2011 से 2014 पेश की जा रही है, जिसमें वादीगण के पितामह स्व. गजेन्द्र सिंह का उपरोक्त जमाबन्दी की कॉलम नं. 4 में दर्ज है।

प्रतिवादी ने जानबूझकर उपरोक्त आराजी को पटवार कागजात में मकबूजा सरकार दर्ज कर दिया है, जो खिलाफ मौका व कानूनी है व कलमजन होने योग्य है।

उपरोक्त आराजी के सन्दर्भ में वादीगण ने धारा 80 सी पी सी को कानूनी नोटिस भी प्रतिवादी को दावा करने से पूर्व दिया गया है। नोटिस की प्रति व रसीद वाद पत्र के साथ पेश की जा रही है।

उपरोक्त इन्द्राज के आधार पर व नोटिस 80 सी पी सी देने के बावजूद भी प्रतिवादी ने अपने अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा उपरोक्त आराजी से वादीगण को दिनांक 13.10.2016 को बेदखल करने व आराजी को काश्त ना करने बाबत खुले आम ग्राम पथैना तह. भुसावर में धमकी दी है।

वादीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि उपरोक्त आराजी को वाहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार एवं काविज आराजी घोषित किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा करायी गयी। नोटिस की ताईद में तहसीलदार, भुसावर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयात निम्नानुसार कायम किये गये है–

1 यह है कि वादग्रस्त भूमि राजकीय होने से कब्जे के आधार पर वादीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणा के अधिकारी है। ––वादीगण जिम्मे

2 उक्त भूमि सरकारी खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। प्रकरण खारिज योग्य है।

––प्रतिवादी जिम्मे

हमने पत्रावली का अध्ययन किय एवं प्रस्तुत दस्तावेजातों अवलोकन उभयपक्ष की दलीलों पर मनन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है–

तनकी नं. 01:– यह है कि वादग्रस्त भूमि राजकीय होने के कारण कब्जे के आधार पर वादीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणा के अधिकारी है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था, वादीगण द्वारा इस संबंध में अवगत कराया कि उक्त भूमि पैत्रिक आराजी है, जो वादीगण के पितामह गजेन्द्र सिंह की खातेदारी थी। इस संबंध में उन्होंने जमाबन्दी संवत 2011 से 2014 पेश की गई, किन्तु प्रस्तुत जमाबन्दी से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वादीगण का पितामह गजेन्द्र सिंह ही है। उन्होंने वादीगण का पितामह होने बाबत कोई स्पष्ट ठोस साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किया गया है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है चूँकि कब्जे के आधार पर खातेदारी दिया जाना उचित नहीं है।

तनकी नं. 02:– उक्त भूमि सरकारी खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। प्रकरण खारिज योग्य है।

उक्त तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी पर है, जिसके संबंध में तहसीलदार, भुसावर द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने दावे के अधिकतर बिन्दुओं को अस्वीकार करते हुए ख.नं. 69 रकबा 15.19 बीघा सरकारी खाते में दर्ज रिकॉर्ड बाबत अवगत कराया। इस संबंध में जमाबन्दी संवत 2071 लगायत 2074 की जमाबन्दी से स्पष्ट है कि उक्त आराजी सरकारी है। अतः यह तनकी वहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

दादरसी, तनकीवार निर्णय अनुसार तनकी नं. 1 विरूद्ध वादीगण होने व तनकी नं. 2 वहक प्रतिवादी निर्णित होने पर दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा मुरत्तिव हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)